न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–36/2021 (2021/......) दर्ज दिनांक 18.06.2021

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

राहुल आत्मज ललित कुमार खटीक तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा।

–विपक्षी

वकिल प्रार्थीः–श्री गणपत राणवा
विपक्षीः– पेरोकार सरकार

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय

दिनांक 23.07.2021

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरूद्व इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गंगापुर तहसील सहाड़ा की सीमा में मुझ प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 1942 रकबा 0.03 हे0 किस्म गै0मु0 आराजी चाह स्थित थी।

यह कि उक्त आराजी में वर्तमान में किसी प्रकार की कोई चाह का अस्तित्व नहीं है तथा उक्त आराजी के आस –पास आबादी भूमि होकर उन पर लोगो के वर्षो पुराने मकानात बने हुए है। उक्त आराजी के आस पास की आराजियात संख्या 1940, 1941, 1943 आबादी में दर्ज कराने हेतु नगर पालिका गंगापुर को समर्पित कर दी गई हैं।

यह कि उक्त आराजी पर चाह का अस्तित्व नही होने से उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में किसम गै0मु0 चाह के बजाय किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज करवाया जाना आवश्यक है क्यों कि उक्त आराजी मौके पर आबादी के रूप में काम में आ रही है।

यह कि उक्त आराजी के आस पास की आराजियात में नगर पालिका गंगापरु द्वारा पट्टे भी जारी कर दिये गये है तथा लोगो ने मकान बना कर उसमें निवास करने लग गये है। जिससे भी उक्त आराजी की किस्म गै0मु0 आराजी चाह के बजाय किस्म गै0मु0 आबादी में दर्ज करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:42:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी संख्या 1942 रकबा 0.03 हे0 किस्म गै0मु0 आराजी चाह के बजाय किस्म गै0मु0 आबादी / बीड़ दर्ज करने बाबत आदेश तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम प्रदान फरमाया जावें।

प्रकरण दिनांक 18.06.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र की बिन्दु संख्या 01 को स्वीकार किया है। बिन्दु संख्या 2 लगायत 5 पर कोई आवक्षेप नहीं व बिन्दु संख्या 6 में प्रार्थी (खातेदार) आ0चा से बीड किस्म परिवर्तन कराने मे कोई आपत्ति नहीं जाहीर की तथा बिन्दु संख्या 7 से 9 में कोई आवक्षेप नहीं अंकन कर जवाब प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट तलब फरमाथी जाने बाबत् निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सहाड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई मौका रिपोर्ट अनुसार :–

यह कि राजस्व रेकार्ड अनुसार गंगापुर के आराजी नं0 1942 रकबा 0.03 हे0 किस्म गे0मु0आचा भूमि खातेदार राहुल पिता ललित कुमार खटीक निवासी गंगापुर के नाम दर्ज है। यह कि उक्त आराजी नं0 1942 रकबा 0.03 हे0 किस्म गे0मु0 चाह मौके पर अस्तित्व में नहीं होकर समतल भूमि है। यह कि आराजी नं0 1942 के आस–पास की भूमि आवासीय प्रयोजन की होकर नगर पालिका गंगापुर के नाम दर्ज रकार्ड है। यह कि आराजी नं0 1942 रकबा 0.03 हे0 भूमि नगर पालिका गंगापुर क्षैत्र में स्थित होकर मौके पर समतल भूमि है, चाह मौके पर स्थित नहीं है, प्रार्थी उक्त आराजी नं0 1942 की किस्म गे0मु0 आबादी / बीड़ दर्ज कराना चाहता है। यह कि उक्त आराजी नं0 1942 रकबा 0.03 हे0 भूमि मौके पर अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

प्रार्थी के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में राजस्व रेकार्ड पेश किया साथ ही पेरोकार सरकार की बहस एवं मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जिससे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम गंगापुर में प्रार्थी की आराजी संख्या 1942 रकबा 0.03 हे0 किस्म गै0मु0 आराजी चाह के बजाय मौका अनुसार किस्म बीड दर्ज किया जाना न्यायोचित है अतएवः–

2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:42:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–36/2021 (2021/...............)
प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम गंगापुर में प्रार्थी की आराजी संख्या 1942 रकबा 0.03 हे0 किस्म गै0मु0 आराजी चाह के बजाय मौका अनुसार बीड दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 3.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:42:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner